

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(77)वित्त-1(1)आय.व्य / 2015

जयपुर, दिनांक : 03/03/17

स्वीकृति संख्या:- 776/2016-17

कोषाधिकारी,
उदयपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में राशि रुपये 595.35 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5/अभि/सीटीएडी/CSS /17 नवीन कन्या छात्रावास/ 2013-14 स्वीकृति सं. 72/2016-17 दिनांक 28.02.2017 में अंकित शर्तों के अनुसार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में राशि रुपये 595.35 लाख (अक्षरे रुपये पांच करोड़ पिच्च्यानवें लाख पैंतीस हजार) मात्र की राशि निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे :-

मांग संख्या -30

4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(26) - केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत पूंजीगत निर्माण कार्य


[05] - आश्रम छात्रावास (छात्रा) का निर्माण एवं नवीनीकरण

17 - वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)

राशि रुपये 595.35 लाख मात्र

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,



(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
5. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)